न्यायालय समाहर्त्ता/जिला पदाधिकारी, सहरसा

आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या– 98/2016

प्रथम पक्षः– (1) चंदन देवी, पति– हीरा साह,
साकिन– नाकुच, पंचायत– सिरवार–बिरवार,
वार्ड नं०– 10, प्रखंड व थाना– महिषी,
जिला– सहरसा।

द्वितीय पक्षः– (1) बाल बिकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड– महिषी, जिला– सहरसा।
(2) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा।
(3) रेणु कुमारी पति– उमेश यादव,
साकिन– नाकुच, पंचायत– सिरवार–बिरवार,
वार्ड नं०– 10, प्रखंड व थाना– महिषी,
जिला– सहरसा।

01.07.2019

–::आदेश::–

प्रस्तुत अभिलेख की कार्यवाही का प्रारंभ उपनिदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा के न्यायालय में अपीलार्थी प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल अपील आवेदन के आलोक में दिनांक 08.10.2014 को किया गया। अपीलार्थी द्वारा दाखिल यह अपील आवेदन महिषी परियोजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत सिरवार–बिरवार के आँगनबाड़ी केन्द्र– नाकुच, केन्द्र संख्या– 53(पुराना), नया– 133, वार्ड संख्या– 10 पर आँगनबाड़ी चयन से संबंधित आपत्तियों और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या– 49/2013–14, के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 17.07.2014 के विरूद्ध है। समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3226 दिनांक 11.08.2015 के आलोक में अभिलेख हस्तानंतरित होकर अग्रेतर कार्यवाही, सुनवाई व निराकरण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

अपीलार्थी दिनांक 07.04.2018 को समय की मांग किए और उसके बाद की तिथियों में लगातार अनुपस्थित रहने लगे। उनके लगातार अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 01.02.2019 को उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु पुनः अंतिम नोटिस निर्गत करने का आदेश दिया गया। अपीलार्थी दिनांक 17.05.2019 को उपस्थित होकर पुनः समय की मांग किए जिसके आलोक में उन्हें अपना पक्ष अगली तिथि को रखने हेतु अंतिम अवसर दिया गया। अगली तिथि अर्थात आज अपीलार्थी पुनः अनुपस्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वाद के निष्पादन में उनकी रूचि समाप्त हो गयी है और उन्हें अब अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है। दूसरी ओर प्रतिवादी संख्या– 01 व 02 के ओर से सरकारी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या– 03 द्वारा भी इस स्थिति में अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

प्रतिवादी संख्या– 01 व 02 के ओर से सरकारी अधिवक्ता और प्रतिवादी

संख्या– 03 के अधिवक्ता को विस्तार से सुना और निम्न न्यायालय के अभिलेख के साथ समस्त अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी के लगातार एक लम्बी अवधि से अनुपस्थित रहने और अवसर दिये जाने के बाद भी अपना पक्ष रखने में टाल–मटोल किए जाने से स्पष्ट है कि उनकी रूचि वाद के निष्पादन के नहीं रह गयी है। उक्त स्थिति में इस कार्यवाही के चलने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। अतः अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

उपस्थापक निम्न न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ संबंधित को भेंजे।

लेखापित व शुद्धिकृत

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 380 ..../न्याया0, सहरसा, दिनांक 25.07.19

प्रतिलिपि :– जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा को निम्न न्यायालय के अभिलेख आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या– 49/2013–14, चंदन देवी बनाम रेणु कुमारी व राज्य एवं अन्य के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

25/07/19

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

A.M - 11.50
29.07.19